

राजस्थान—सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

(ई-मेल rajasthan_idsp@yahoo.co.in)

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 237

दिनांक: 5/3/20

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:—कोरोना वायरस (Covid-19) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में कोरोना वायरस रोग का एक रोगी पाये जाने के फलस्वरूप जिले में Covid-19 रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण आदि हेतु जिला कलक्टर नोडल अधिकारी होंगे। Covid-19 रोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ट्रेवल एडवाइजरी, हैल्थ केयर फैसिलिटी में इन्फेक्शन प्रीवेन्शन एवं कंट्रोल, सैम्पल कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन, क्लिनिकल केस मैनेजमेंट, डिस्चार्ज पॉलिसी, कन्टेनमेंट प्लॉन तथा डिसइन्फेक्शन पॉलिसी आदि वांछित कार्यवाही हेतु पूर्व में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी गयी है।

अतः उक्तानुसार Covid-19 रोग के बचाव, नियंत्रण, जाँच, उपचार, प्रचार—प्रसार आदि से संबंधित समस्त गतिविधियाँ सम्पादित कराना सुनिश्चित करावें।



(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आई.डी.एस.पी / 2020 / 237

दिनांक: 5/3/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभाषी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को ई-मेल कराने के साथ-साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर